राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-4/2) विभाग

क्रमांकः-प.9(1)कार्मिक/क-4/2016 जयपुर, दिनांकः- 17 MAY 2016

-:-परिपत्र-:-

1-समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
2-समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।

विषयः-राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा की रिक्तियां/अर्थना प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में ।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाऐं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2012 की चयन प्रकिया पूर्ण की जा चुकी है, जिसके आधार पर, विज्ञापित रिक्तियों के अनुसार विभाग/सेवावार आवंटन परिशिष्ट "अ" अनुसार कार्मिक विभाग द्वारा पूर्ण किया जा चुका है। आशा है, आपके विभाग द्वारा नियुक्ति ओदश जारी कर, कार्यग्रहण कराने संबंधी कार्य पूर्ण करवाया जा चुका होगा। यदि अभी भी यह कार्य पूर्ण नहीं हुआ है तो अब 20 मई, 2016 से पूर्व इसे पूर्ण करना सुनिश्चित करते हुए, वस्तुस्थिति की सूचना निम्न प्रपत्र में इस विभाग को दिनांक 31.05.20016 से पूर्व प्रेषित करावें :-

क.सं.	सेवा का नाम	आरएएस-2012 के माध्यम से कुल आवंटित अभ्यर्थी	अभ्यर्थियों की संख्या जिनके नियुक्ति आदेश जारी किए गए	अंतिम तिथि तक कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	टिप्पणी

आपको यह भी विदित है कि आरएएस-2013 की भर्ती प्रकिया प्रारम्भ है। आयोग द्वारा विज्ञापित पदों की सूचना परिशिष्ट "ब" के अनुसार अपने विभाग की स्थिति का मिलान रेकार्ड से करते हुए कृपया यह सुनिश्चित कर ले कि उसमें दर्शाये गये पदों की संख्या/आरक्षण स्थिति में कोई त्रुटि तो नहीं है।

आपसे प्राप्त सूचना के आधार पर आयोग को वर्ष 2013-14 एवं 14-15 की रिक्तियों की अर्थना प्रेषित कर दी गई है जिनके शीघ्र ही आरएएस, 2016 के रूप में विज्ञापित होने की सम्भावना है। इसमें आपके विभाग हेतु सूचित रिक्तियों (परिशिष्ठ-स) का मिलान विभागीय रिकार्ड से करना सुनिश्चित करें कि इसमें कोई त्रुटि तो नहीं हैं।

यह भी उल्लेखनीय है कि समयबद्व भर्ती प्रकिया सुनिश्चित किये जाने के लिये यह आवश्यक है कि वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 की रिक्तियों की अर्थना आयोग को समय रहते प्रेषित कर दी जाये। राज्य सरकार ने यह लक्ष्य तय किया है कि प्रतिवर्ष सितम्बर माह तक आयोग को अर्थना भेज दी जावे, जिनका आवश्यक परीक्षण कर आयोग द्वारा प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में भर्ती विज्ञप्ति जारी की जाकर आगामी वर्ष के सिंतम्बर माह तक हर हाल में चयन प्रकिया पूर्ण की जाये।

उक्त समय सारिणी/सीमा को कड़ाई से लागू किये जाने हेतु यह आवश्यक है कि समस्त प्रशासनिक विभाग रिक्तियों की स्वंयपूर्ण सूचना प्रति वर्ष, वित्त वर्ष के प्रारम्भ होते ही (अधिकतम 30 जून तक) कार्मिक विभाग को भिजवा देवें, जिससे कार्मिक विभाग द्वारा आवश्यक परीक्षण उपरान्त "अर्थना" आयोग को नियत समय के भीतर भिजवाई जा सके। अतः कृपया वर्ष 2015-16 की रिक्तियों की सूचना के साथ ही वित्त वर्ष 2016-17 के लिये राज्य अधीनस्थ सेवाओं की रिक्तियों की सूचना हर हाल में 30.06.2016 तक भिजवा देवें। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि नियत तिथि के पश्चात प्राप्त रिक्तियों को आगामी वर्ष के साथ ही भिजवाया जाना संभव होगा। इस कारण से विभाग को अधिकारियों की उपलब्धता में होने वाले किसी भी विलम्ब के लिए कार्मिक विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

आगे

रिक्तियां प्रेषित किये जाते समय कृपया निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखा जावे:–

1– आरएएस–2012 द्वारा आंवटित अधिकारियों को गणना में सम्मिलित किया जावे।

2– आरएएस–2012 के नियुक्त अधिकारियों द्वारा नियत अवधि तक कार्यग्रहण नहीं किया गया है तो ऐसी रिक्तियों को वर्तमान में भिजवाई जा रही रिक्तियों अर्थात 2015–16 की रिक्तियों में सम्मिलित किया जावे।

3– आरएएस–2013 में विज्ञापित पदों को गणना में सम्मिलित किया जावे। अर्थात ऐसी रिक्तियां पुनः न भेज दी जावे। इस तथ्य का विशेष ध्यान रखें।

4– वर्ष 2014–15 हेतु भिजवाई गई रिक्तियों को भी संज्ञान में रखे जिससे वही रिक्तियां पुनः न भेजी जावे।

5– वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 हेतु चाही जा रही रिक्तियों की सूचना सम्बन्धित विभाग नियत अवधि में भिजवा देवें।

6– दिनांक 31.03.2017 तक सम्भावित सीधी भर्ती की सभी रिक्तियों को गणना में सम्मिलित करें।

7– वित्त विभाग से प्राप्त सहमति की प्रति संलग्न करें।

8– समस्त प्रकार के आरक्षण की गणना नियमानुसार करें। आवश्यकता होने पर कार्मिक विभाग से अनौपचारिक विचार–विमर्श किया जा सकता है।

9– एक बार रिक्ति कार्मिक विभाग में प्राप्त होने पर उनमें कमी अथवा वृद्धि का कोई अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा। रिक्तियां/आरक्षण में रही किसी भी त्रुटि हेतु विभाग स्वंय उत्तरदायी होगा।

10– आरक्षण एवं रोस्टर रजिस्टर की पूर्णतः पालना सुनिश्चित की जावे।

अतः उपयुक्त तथ्यों/निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, आपके विभाग से संबंधित रिक्तियां निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 30.06.2016 से पूर्व आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– सचिव, महा. राज्यपाल महोदय।

2– सचिव, मुख्यमंत्री महोदया।

3– प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग को प्रेषित कर अनुरोध है कि विभागों से प्राप्त होने वाली रिक्तियों पर वित्त विभाग की सहमति संबंधी निर्णय प्राथमिकता पर सम्पन्न करावें जिससे भर्ती कलेण्डर को सख्ती से लागू करना सम्भव हो सके।

4– वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव महोदय।

5– सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

6– संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2/नियम) विभाग।

7– निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।

8– रक्षित पत्रावली।

(अभिमन्यु कुमार)
संयुक्त शासन सचिव

परिशिष्ठ "अ"

राजस्थान राज्य एंव अधीनस्थ सेवा संयुक्त परीक्षा–2012

क्र.सं.	विभाग का नाम	सेवा का नाम	विज्ञापित रिक्तियाँ	कार्मिक विभाग द्वारा आवंटन
		राज्य सेवा		
1.	कार्मिक (क–4/1) विभाग	राजस्थान प्रशासनिक सेवा	75	75
2.	गृह विभाग	राजस्थान पुलिस सेवा	52	52
3.	वित्त विभाग	राजस्थान लेखा सेवा	22	22
4.	वित्त (बीमा) विभाग	राजस्थान राज्य बीमा सेवा	12	12
5.	उद्योग विभाग	राजस्थान उद्योग सेवा	12	12
6.	पर्यटन विभाग	राजस्थान पर्यटन सेवा	7	7
7.	वित्त (कर) विभाग	राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा	19	19
8.	सहकारिता विभाग	राजस्थान सहकारी सेवा	66	65
9.	गृह विभाग	राजस्थान कारागार सेवा	03	03
10.	श्रम एंव नियोजन विभाग	राजस्थान नियोजन कार्यालय सेवा	02	02
11.	परिवहन विभाग	राजस्थान परिवहन सेवा	02	02
12.	महिला एंव बाल विकास विभाग	राजस्थान महिला एंव बाल विकास सेवा	19	19
13.	देवस्थान विभाग	राजस्थान देवस्थान सेवा	02	02
14.	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा	64	63
15.	महिला एंव बाल विकास विभाग	राजस्थान महिला विकास सेवा	03	03
		योग	360	358
		अधीनस्थ सेवा		
1.	उद्योग विभाग	राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा	09	09
2.	राजस्व विभाग	राजस्थान तहसीलदार सेवा	85	84
3.	श्रम एंव नियोजन विभाग	राजस्थान अधीनस्थ सेवा (नियोजन)	04	03
4.	देवस्थान विभाग	राजस्थान अधीनस्थ देवस्थान सेवा	14	14
5.	आबकारी विभाग	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा	100	100
6.	वाणिज्य कर विभाग	राजस्थान वाणिज्य कर अधीनस्थ सेवा	33	26
7.	खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग	राजस्थान खाद्य एंव नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा	103	100
8.	सहकारिता विभाग	राजस्थान अधीनस्थ सहकारी सेवा	494	441
9.	महिला एंव बाल विकास विभाग	राजस्थान महिला एंव बाल विकास अधीनस्थ सेवा	09	08
		योग	851	785

आर्य

परिशिष्ट "ब"

राजस्थान राज्य एंव अधीनस्थ सेवा संयुक्त परीक्षा–2013

क्र. सं.	विभाग का नाम	सेवा का नाम	विज्ञापित रिक्तियॉ
		राज्य सेवा	
1.	कार्मिक (क–4/1) विभाग	राजस्थान प्रशासनिक सेवा	49
2.	गृह विभाग	राजस्थान पुलिस सेवा	46
3.	वित्त विभाग	राजस्थान लेखा सेवा	113
4.	सहकारिता विभाग	राजस्थान सहकारी सेवा	1
5.	श्रम एंव नियोजन विभाग	राजस्थान नियोजन कार्यालय सेवा	4
6.	उद्योग विभाग	राजस्थान उद्योग सेवा	5
7.	वित्त (बीमा) विभाग	राजस्थान राज्य बीमा सेवा	3
8.	वित्त (कर) विभाग	राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा	39
9.	खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग	राजस्थान खाद्य एंव नागरिक रसद सेवा	2
10.	पर्यटन विभाग	राजस्थान पर्यटन सेवा	7
11.	परिवहन विभाग	राजस्थान परिवहन सेवा	27
12.	महिला एंव बाल विकास विभाग	राजस्थान महिला एंव बाल विकास सेवा	13
13.	देवस्थान विभाग	राजस्थान देवस्थान सेवा	2
14.	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा	13
15.	महिला एंव बाल विकास विभाग	राजस्थान महिला विकास सेवा	6
16.	श्रम एंव नियोजन विभाग	राजस्थान श्रम कल्याण सेवा	16
		योग	346
		अधीनस्थ सेवा	
1.	देवस्थान विभाग	राजस्थान अधीनस्थ देवस्थान सेवा	18
2.	राजस्व विभाग	राजस्थान तहसीलदार सेवा	40
3.	आबकारी विभाग	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा	13
4.	उद्योग विभाग	राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा	5
5.	वाणिज्य कर विभाग	राजस्थान वाणिज्य कर अधीनस्थ सेवा	133
6.	खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग	राजस्थान खाद्य एंव नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा	17
7.	महिला एंव बाल विकास विभाग	राजस्थान महिला एंव बाल विकास अधीनस्थ सेवा	14
8.	सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग	सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (परिवीक्षा एंव कारागृह कल्याण अधिकारी)	15
9.	सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग	समाजिक न्याय एंव अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (सामाजिक सुरक्षा अधिकारी)	238
10.	श्रम एंव नियोजन विभाग	श्रम अधीनस्थ सेवा (श्रम निरीक्षक)	151
		योग	644

परिशिष्ठ "स"

राजस्थान राज्य एंव अधीनस्थ सेवा संयुक्त परीक्षा–2016

(रिक्ति वर्ष 2013–14 व 2014–15)

क्र. सं.	विभाग का नाम	सेवा का नाम	कार्मिक विभाग की ओर से आयोग को सूचित रिक्तियां
		राज्य सेवा	
1.	कार्मिक (क–4/1) विभाग	राजस्थान प्रशासनिक सेवा	88
2.	गृह विभाग	राजस्थान पुलिस सेवा	67
3.	वित्त विभाग	राजस्थान लेखा सेवा	137
4.	वित्त (बीमा) विभाग	राजस्थान राज्य बीमा सेवा	4
5.	सहकारिता विभाग	राजस्थान सहकारी सेवा	9
6.	गृह विभाग	राजस्थान कारागार सेवा	3
7.	श्रम एंव नियोजन विभाग	राजस्थान नियोजन कार्यालय सेवा	1
8.	खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग	राजस्थान खाद्य एंव नागरिक रसद सेवा	15
9.	महिला एंव बाल विकास विभाग	राजस्थान महिला एंव बाल विकास सेवा	10
		योग	334
		अधीनस्थ सेवा	
1.	उद्योग विभाग	राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा	6
2.	राजस्व विभाग	राजस्थान तहसीलदार सेवा	210
3.	आबकारी विभाग	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा	19
4.	खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग	राजस्थान खाद्य एंव नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा	131
5.	सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग	सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (परिवीक्षा एंव कारागृह कल्याण अधिकारी)	8
6.	सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग	समाजिक न्याय एंव अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (जिला परिवीक्षा एंव सामाजिक कल्याण अधिकारी)	17
		योग	391

3/3/16